अपील सूचना अधिकार संख्या 24/2021(GCMS 2021/41) (आरटीआई नं. 212080670104283) श्री राधेश्याम गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्याम कुटीर, नदजीक टण्डन लेबोरेट्री, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ/312855) बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

12.04.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.01.2021 से इक्कीस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.01.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न इक्कीस बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. प्रार्थी का पत्रांक 7799 दिनांक 13.10.2020 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना
3. पत्र प्राप्ति से दिनांक 11.0[illegible] तक जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार के द्वारा की गई [illegible] सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. राजस्व मण्डल अजमेर का पत्रांक प–11(07)शिका/रा.म./बीकानेर संभाग, श्रीगंगानगर/2018/6870 दिनांक 23.08.2018 सम्बोधित जिला कलक्टर, श्रीगगानगर में आज तक प्रार्थी को न्याय दिलवाने में की गई कार्यवाही की सूचना।
5. उपरोक्त पत्रांक दिनांक 23.08.2018 में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में जवाब व लिखित बहस दिनांकित 10.06.2019 आठ पृष्ठों का दिया गया है, उस पर सुनवाई जिस अधिनियम की जिस धारा में नहीं की गयी है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
7. जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर तहसील श्रीगंगानगर ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्रांक 599 दिनांक 03.05.2019 में श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई को दोषी माना है, इस सम्बन्ध में सूचना व अन्य द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना।
8. जांच रिपोर्ट पर आप द्वारा कार्यवाही जिस अधिनियम की जिस धारा में नहीं की गयी है, उस अधिनियम व नियम की धारा व नियम की प्रमाणित प्रति।
9. अतिरिक्त जिला कलैक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के पत्रांक 7562 दिनांक [illegible] लिपिकीय भूल के कारण प्रकरण समाप्त [illegible]

लिपिकीय [illegible] आधार पर प्रकरण समाप्त रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 [illegible] स्टाम्प रूल्स 1955 व 1956 के जिस नियम के अन्तर्गत समाप्त किया गया है, उसकी सूचना व धारा व नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

10. लिपिकीय त्रुटि को सुधारने हेतु जो नियम दिये गये है, उसकी धारा व उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसकी लिखित में सूचना व प्रमाणित प्रति।

11. लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण में सुधारने हेतु प्रयास जो किये गये है, उसकी सूचना व प्रयास जिस अधिनियम की जिस धारा में नहीं किये गये, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

12. लिपिकीय त्रुटि को सुधारने वाले (लगने वाली) वसूल की जाने वाली राशि की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

13. पत्रांक पत्र 11(07) शिकायत/रा.म./बीकानेर संभाग श्रीगंगानगर 1298/2924 दिनांक 02.07.19 का हवाला देकर समाप्त किया गया है वह प्रार्थी को मिला ही नही है इस बाबत सूचना ।

14. जिस डाकखाना या संचार माध्यम से यह पत्रांक 1298/2924 दिनांक 02.07.2009 प्रेषित प्रार्थी को किया गया है, उसकी सूचना व पत्र की प्रमाणित प्रति संचार माध्यम की।

15. पत्रांक 1298/2924 दिनांक 02.07.2009 के सम्बन्ध में लिखी गयी कार्यालय टिप्पणी व कार्यालय टिप्पणी पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी/कर्मचारी व नियम का नाम व पद की सूचना।

16. प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण को सुनने के लिए 42 पत्र लिखा चुका है फिर भी प्रकरण [illegible] नहीं हुई है व प्रकरण नैसर्गिक व प्राकृतिक [illegible] एक पक्षीय निर्णय दिया [illegible] सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

17. जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 230 दिनांक 04.02.2019 से जांच रिपोर्ट प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.01.20201 तक जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से मांगने पर भी प्रार्थी द्वारा सात चक्कर लगाने के उपरांत भी जांच रिपोर्ट नहीं भेजी है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने व प्रकरण समाप्त कर दिया है। इस बाबात सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
18. प्रार्थी द्वारा अपने पत्रांक 7612 दिनांक 21.05..2020 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को लिखने के उपरांत भी पंत्राक पर कोई कार्यवाही जो की है, उसकी सूचना।
19. अतिरिक्त जिला (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 7562 दिनांक 09.09.2020 से जांच रिपोर्ट पत्रांक 599 दिनांक 03.05. 2019 मनन न करने व प्रकरण मिथ्या रूप से समाप्त करने की सूचना व जिस आधार व नियमों के अधीन प्रार्थी को बिना सुने प्रकरण समाप्त किया, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
20. उक्त प्रकरण में अपने स्तर पर जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करायी जाने बाबत सूचना।
21. पंजीयन अधिनियम 1908 व स्टाम्प नियम के जिस धारा व नियम में सह[illegible] शब्द का [illegible] किया है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ.1(23)( ) स्था./20/3838 दिनांक 17.05.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित अपील द्वारा श्री राधेश्याम गोयल के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी का आरटीआई आवेदन पत्र इस कार्यालय में आरटीआई की धारा 6(3) के अन्तर्गत 19.03.2021 को अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाए/स्थानान्तरित किए जाने पर आवेदक को इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक 2000 दिनांक 15.04.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि वे किस प्रकरण में सूचना चाह रहे है क्योंकि उनके द्वारा आवेदन पत्र में अपने पत्र दिनांक 13.10.2020 का उल्लेख करते हुए सूचना चाही जा रही थी लेकिन कोई विषय वस्तु का अंकन नहीं था। इसलिए आवेदक को सुझाया गया कि वे किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकते है, बाद अवलोकन चिन्हित सूचना नियमानुसार उन्हें उसी रोज उपलब्ध करा दी जावेगी।

आवेदक श्री राधेश्याम गोयल दिनांक 27.04.2021 को इस कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्हें उपरोक्तानुसार स्थिति से अवगत कराया गया और उपलब्ध रिकॉर्ड अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया गया। श्री राधेश्याम गोयल द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात बिना हस्ताक्षर किए कार्यालय से रवाना हो गये।

अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृपया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आरटीआई आवेदन पत्र का न्यायालय यदि स्वयं अवलोकन फरमायें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। अतः अपील जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृपया अपील खारिज फरमावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:54 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
(भवानी सिंह पंवार)
प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर ने अपने एफ.1(23)( ) स्था./20/3838 दिनांक 17.05.2021 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्कता प्रतीत नहीं होती है फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि उसकी सूचना से सम्बन्धित रिकॉर्ड को पुनः अवलोकन करना चाहे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अवालोकन करवा देवें और उसके द्वारा वांछित सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:54 IST
Reason: SelfAttested